Government Polytechnic Kashipur

स्वप्रमाणित पुरूष छात्रावास घोषणा पत्र/नियम

- संस्थान के छात्रावास में किसी एक प्रशिक्षणार्थी को पूरा कमरा नहीं दिया जाएगा। छात्रो को अन्य प्रशिक्षणार्थियों के साथ कमरे में रहना होगा। एक कमरे में तीन/चार प्रशिक्षणार्थी एक साथ रहते है।
- छात्रावास के भोजनालय में शाकाहारी भोजन की व्यवस्था की जाती है, जो निविदा के आधार पर पास व्यक्ति द्वारा संचालित होती है।
- भोजन भोजनालय कक्ष में ही करना होगा। भोजन कमरे में ले जाना पूर्णतः निषेध है और कोई भी प्रशिक्षणार्थी कमरे में भोजन, चाय आदि नहीं बनाएगा। भोजनालय के समय के अनुसार ही भोजन अनिवार्य है। भोजनालय कक्ष का कोई भी सामान छात्र बाहर नहीं ले जाएंगे। इसकी अवहेलना करने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
- यदि कोई प्रशिक्षणार्थी छात्रावास से बाहर जाये तो भोजनालय प्रतिनिधि एवं वार्डन को लिखित रूप से सूचित करें।
- छात्रावास में जन्मदिन या अन्य किसी प्रकार की पार्टी का आयोजन नहीं किया जायेगा। उल्लघंन करने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- सामान्यतः संक्रामक रोगग्रस्त प्रशिक्षणार्थियेां को प्रवेश नहीं दिया जाता। प्रवेश के पश्चात् यदि किसी प्रशिक्षणार्थी को संक्रामक रोग होगा तो उसे संस्थान के छात्रावास से अलग रहना होगा।
- सांय 8 बजे से प्रातः 6 बजे तक छात्रावास से बाहर जाना पूर्णतः निषिद्ध है। अध्ययन के अतिरिक्त छात्रावास से बाहर जाते समय और आते समय प्रशिक्षणार्थियों को छात्रावास गेट पर रखे रजिस्टर में सूचना दर्ज करनी होगी और हस्ताक्षर करने होंगे। विशेष परिस्थिति में सांय 8 बजे से प्रातः 6 बजे तक प्रशिक्षणार्थी वार्डन की पूर्व अनुमति लेकर ही छात्रावास से बाहर जा सकते है।
- छात्रावास या संस्थात के परिसरों में मादन वस्तुओं का उपयोग निषिद्ध है।
- यदि छात्रावास में सिगरेट, बीड़ी व अन्य मादक पदार्थ/नशीली वस्तुओं का सेवन करता पाया जाता है तो उसे छात्रावास से निष्कासित किया जा सकता है।
- किसी प्रशिक्षणार्थी का चरित्र तथा व्यवहार असंतोषजनक पाए जाने पर उसे छात्रावास से निष्कासित किया जा सकता है।
- बाहर का कोई भी व्यक्ति/छात्र छात्रावास में अतिथि के रूप में नहीं रह सकता।
- वार्डन की पूर्व अनुमति के बिना कोई प्रशिक्षणार्थी कमरा और प्रदत्त सामग्री एक दूसरे से नहीं बदल सकता।
- यदि कोई प्रशिक्षणार्थी संस्थान एवं छात्रावास की सामग्री को किसी प्रकार की क्षति पहुॅचाएगा, तो उसे उसकी क्षतिपूर्ति करनी होगी।

- बिजली के बल्ब/LED सत्र के आरम्भ में एक बार दिये जायेंगे। यदि बल्ब/LED फ्यूज होता है तो प्रशिक्षणार्थी को उसकी व्यवस्था स्वयं करनी होगी। पुनः लगाए गये बल्बों/LED का वॉल्टेज पूर्व प्रदत्त बल्बों के वॉल्टेज के समान ही होना चाहिए।
- कमरों में लगे विद्युत उपकरणों के अलावा अन्य किसी विद्युत उपकरण (तापक/हीटर/केटल) का प्रयोग दंडनीय अपराध समझा जायेगा।
- छात्रावास में किसी प्रकार के स्टोव का प्रयोग करना निषिद्ध है। यदि कमरे में स्टोव/हीटर पाया गया तो प्रशिक्षणार्थी को दंडित किया जाएगा और उसका स्टोव/हीटर भी जब्त कर लिया जायेगा एवं छात्र का छात्रावास से निष्कासन भी किया जा सकता है।
- छात्रावास में वार्डन प्रत्येग तल के नायकों की नियुक्ति करेंगे। नायक अन्य प्रशिक्षणार्थी की सहायता से छात्रावास की देखभाल वार्डन के निर्देशानुसार करेंगे।
- छात्रावास के कार्य के लिए छात्रावास सहायक और छात्रावास परिचारकों की व्यवस्था है, जिनके कर्तव्य वार्डन द्वारा निश्चित किये गये है।
- छात्रावास में प्रतिदिन रात्रि को निर्धारित समय पर वार्डन अथवा अन्य व्यक्ति द्वारा उपस्थिति ली जाएगी। इसी समय प्रशिक्षणार्थी अपनी कठिनाइयॉ लिखित रूप में वार्डन को दे सकते है।
- सभी छात्र अपने साथ बिस्तर एवं आवश्यक कपड़े (गर्म एवं सामान्य) तथा कंबल आदि लेकर आएँ। घर जाकर सामान लाने के लिए अवकाश नहीं दिया जायेगा।
- छात्रों को छात्रावास के संबंध में कोई शिकायत हो तो लिखित रूप में वार्डन को दें। लिखित शिकायत पर ही कार्यवाही की जा सकेगी।
- कोई भी छात्र अपने साथ किसी बाहरी व्यक्ति/अतिथि को चाहे वह संस्थान से संबंधित ही क्यों न हो, अपने कमरे में नहीं ले जाएगा।
- कोई भी छात्र अतिथि अथवा परिवार के अन्य सदस्यों को छात्रावास में अपने साथ नहीं रख सकता।
- कोई भी प्रशिक्षणार्थी अपने साथ कीमती वस्तु/आभूषण इत्यादि लेकर न आए।
- छात्रावास में सभी अपने सामान/धनराशि की सुरक्षा स्वयं करेंगे।
- शौच एवं स्नान के बाद स्नानागार एवं शौचालयों के नलों को बंद करना होगा।
- छात्रों को पाठ्यक्रम की समाप्ति के बाद अधिक से अधिक तीन दिनों तक छात्रावास में रहने की अनुमति दी जाएगी। अति आवश्यक होने पर अधिक दिनों के लिए प्रधानाचार्य/छात्रावास अधीक्षक से अनुमति प्राप्त करनी होगी। संत्रात के बाद भोजनालय में भोजन की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।
- प्रत्येक छात्र को भोजनालय का अग्रिम भुगतान प्रत्येक माह की 05 तारीख तक मैस संचालक के पास जमा करना होगा।
- छात्रावास में साफ–सफाई का विशेष ध्यान रखेंगे एवं कूडा इधर–उधर न फेंककर कुडेदान का प्रयोग करेंगे।

- छात्रावास में जो भी सामान छात्र को दिया जायेगा उनकों वापस करना होगा।
- छात्रावास में प्रशिक्षणार्थी लडाई–झगडा नहीं करेगा न ही कोई वाद–विवाद करेगा।
- छात्रावास में प्रशिक्षणार्थी किसी भी प्रकार का शोर–शराबा नहीं करेगा।
- छात्रावास में प्रशिक्षणार्थी कोविड–19 के नियमों का पालन निष्ठापूर्वक करेगा।
- आवश्यकतानुसार छात्रवास में प्रधानाचार्य, मुख्य वार्डन, सहायक वार्डन किसी भी छात्र के कमरे का निरीक्षण किसी भी दिन किसी भी समय कर सकते है। छात्रावास में रहने वाले सभी छात्र को उपर्युक्त सभी नियमों का पालन अनिवार्य है। जो विधार्थी उपर्युक्त नियमों का पालन नहीं करेगा, उसको संस्थान और छात्रावास से निष्कासित किया जा सकता है।
- यदि छात्र अन्य किसी गतिविधि में पकड़ा जाता है तो उसको छात्रावास से निष्कासित किया जा सकता है।

- मैं .... पुत्र .... घोषणा करता हूॅ कि मैंने संस्थान के छात्रावास नियमों को अच्छी तरह से पढ़ लिया है और मैं छात्रावास नियमों का पूर्णतः पालन करूंगा। यदि मेरे द्वारा छात्रावास नियमों का उल्लघंन किया जाता है तो छात्रावास समिति द्वारा मेरे ऊपर की गयी कार्यवाही मुझे मान्य होगी। छात्रावास/संस्था परिसर के बाहर आउटिंग/गृह प्रस्थान के दौरान यदि कोई घटना घटित होती है तो मैं उसका स्वयं जिम्मेदार रहॅूगा।

दिनांक

प्रशिक्षणार्थी के हस्ताक्षर–	पिता/अभिभावक का हस्ताक्षर–
प्रशिक्षणार्थी का नाम–	पिता/अभिभावक का नाम–
प्रशिक्षणार्थी की ब्रांच–	मो0न0–
मो0न0–	पता–